Jh pke.Mk ufUnd'oj efUnj U;kl pke.Mk] ftyk dkxMk fgekpy in'k d y[kk dk vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu

vd{k.k vof/k 01-01-2010 l 31-12-2010

Hkkx&,d

1 **iLrkouk %&** वर्तमान लेखा परीक्षा द्वारा संपरीक्षित अवधि के दौरान निम्न अधिकारी ने मन्दिर न्यास के आहरण/संवितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया।

Øe l[;k	vf/kdkjh dk uke	vof/k
1	श्री एल0आर0 कौंडल	01.01.2010 से 31.12.2010

2 **lLFkk d fiNy rhu lky dk vk;&O;; fooj.k fuEukulkj Fkk %&**

Øe l[;k	Ok"k	vk;	O;;	vUrj
1	2008	1,84,67,309.00	1,21,02,294.00	63,65,015.00
2	2009	2,05,42,542.64	1,34,40,352.00	71,02,190.64
3	2010	2,47,04,103.66	2,31,94,982.00	15,09,121.66

3 **xr vd{k.k ifronu %&**

मन्दिर न्यास द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में निपटारे हेतु लम्बित पड़े पैरों पर की गई कार्यवाही की जाँच की गई तथा जिन पैरों का निपटारा हो सकता था, मौके पर कर दिया गया। परन्तु गम्भीर प्रवृति के पैरों (मुख्यतः सोने चांदि के पुराने अभिलेख से सम्बन्धित) पर विषेष कार्यवाही नहीं की गई। अतः यह मामला आयुक्त (मन्दिर) के ध्यान में विषेष रूप से लाया जाता है ताकि इस पर अविलम्ब कार्यवाही अमल में लाई जा सके और चूककर्त्ता से वसूली की जा सके। वर्तमान अंकेक्षण के पष्चात निपटारे हेतु शेष पड़े पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

¼d½ **vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@94 l 12@98 rd**

(1)	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	
(2)	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	
(3)	पैरा 5(च)	अनिर्णीत	
(4)	पैरा 6(ख)(1)	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली गई है)
(5)	पैरा 6(ख)(2)	अनिर्णीत	
(6)	पैरा 6(ख)(3)	अनिर्णीत	
(7)	पैरा 6(ग)(1)	निर्णीत	(स्वीकृति देख ली है)

(8)	पैरा 6(ग)(2)	निर्णीत	(आयुक्त की स्वीकृति की जाँच के उपरान्त)
(9)	पैरा 6(घ)(2)	निर्णीत	
(10)	पैरा 7(ग)	निर्णीत	(दिए गए उत्तर अनुसार)
(11)	पैरा 25(क)	अनिर्णीत	
(12)	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत	
(13)	पैरा 25(ग)	अनिर्णीत	
(14)	पैरा 25(घ)	अनिर्णीत	
(15)	पैरा 25(ङ)	अनिर्णीत	
(16)	पैरा 25(च)	अनिर्णीत	
(17)	पैरा 29(क)	निर्णीत	(दिए गए उत्तर अनुसार)
(18)	पैरा 29(ख)	निर्णीत	(दिए गए उत्तर अनुसार)
(19)	पैरा 29(ग)	अनिर्णीत	
(20)	पैरा 45	अनिर्णीत	

¼[k½ vkd{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 01-01-2000 ls 31-12-2000 rd

(1)	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
(2)	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
(3)	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
(4)	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
(5)	पैरा 13(2)	अनिर्णीत

¼x½ vkd{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 01-01-2001 ls 31-12-2001 rd

(1)	पैरा 6(4)	अनिर्णीत	
(2)	पैरा 9	निर्णीत	(₹ 178/—की वसूली रसीद संख्या 692/31217 द्वारा कर ली गई है)
(3)	पैरा 17(ख)(2)	अंषतः निर्णीत	(मद संख्या 8,9 में दर्ज ₹ 17140/—की वसूली सुलभ इन्ट्रनैष्नल के बिल से माप पुस्तिका 35/69 में कर ली गई है)

¼?k½ vkd{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 01-01-2002 ls 31-12-2002 rd

(1)	पैरा 5(क)(1 से 5)	अनिर्णीत
(2)	पैरा 5(क)(6)(ए,बी,सी,डी)	अनिर्णीत
(3)	पैरा 5(क)(7 से 8)	अनिर्णीत
(4)	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत

(5)	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत	
(6)	पैरा 6(ञ)(1)	अनिर्णीत	
(7)	पैरा 8(1)	निर्णीत	(₹ 175/—की वसूली रसीद संख्या 629/31216 द्वारा कर ली गई है)
(8)	पैरा 11(क)(1)	अनिर्णीत	
(9)	पैरा 11(क)(2)	अनिर्णीत	
(10)	पैरा 11(क)(3)	अनिर्णीत	
(11)	पैरा 11(क)(4)	अनिर्णीत	
(12)	पैरा 11(ख)	निर्णीत	(अभिलेख की जाँच के उपरान्त)
(13)	पैरा 12	अनिर्णीत	
(14)	पैरा 13(2)	निर्णीत	(भौतिक सत्यापना रिपोर्ट देख ली है)

¼3½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 01-01-2003 ls 31-12-2004 rd

(1)	पैरा 5(ख)(ग)	अनिर्णीत	
(2)	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत	
(3)	पैरा 5(ङ)	अनिर्णीत	
(4)	पैरा 6	अनिर्णीत	
(5)	पैरा 7	अनिर्णीत	
(6)	पैरा 12(क)	अनिर्णीत	
(7)	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत	
(8)	पैरा 15	अनिर्णीत	
(9)	पैरा 25(ख)	निर्णीत	(अभिलेख की जाँच के उपरान्त)
(10)	पैरा 33(1)	अनिर्णीत	
(11)	पैरा 33(2)	अनिर्णीत	
(12)	पैरा 38(2)	निर्णीत	(कार्योत्तर स्वीकृति देख ली गई है)
(13)	पैरा 40	निर्णीत	(दिये गए उत्तर अनुसार)

¼p½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 01-01-2005 ls 31-12-2005 rd

(1)	पैरा 7(क)	अनिर्णीत	
(2)	पैरा 7(ख)	निर्णीत	(₹ 450/—की वसूली रसीद संख्या 629/31215 द्वारा कर ली गई है)
(3)	पैरा 9	निर्णीत	(अब कार्य नियमानुसार किया जा रहा है)
(4)	पैरा 13	अनिर्णीत	
(5)	पैरा 16	अनिर्णीत	

¼N½ <u>vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 01-01-2006 l 31-12-2007 rd</u>

(1)	पैरा 10	अनिर्णीत	
(2)	पैरा 11	अनिर्णीत	
(3)	पैरा 21	अनिर्णीत	

¼t½ <u>vfrfjDr fun'kd] LFkkuh; y[kk ijh{kk foHkkx fgekpy in'k f'keyk&171009 d fujh{k.k ifronu tkfd i"Bkdu l[;k fQu¼,y0,0½¼2½¼15½¼14½198@99] fnukd 06-04-2009 }kjk tkjh fd;k x;k e lfEefyr ij</u> %&

(1)	पैरा 4(क)(1)	अनिर्णीत	(अन्तर का मिलान किया जाना शेष है)
(2)	पैरा 4(क)(2)	अनिर्णीत	
(3)	पैरा 4(क)(3)	अनिर्णीत	

¼>½ <u>vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 01-01-2008 l 31-12-2009 rd</u>

(1)	पैरा 2	अनिर्णीत	
(2)	पैरा 3	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों में दर्षाई गई है)
(3)	पैरा 4	अनिर्णीत	
(4)	पैरा 5	अनिर्णीत	
(5)	पैरा 6(i)	अनिर्णीत	
(6)	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत	
(7)	पैरा 6(iii)	निर्णीत	(₹ 2000/—की वसूली माप पुस्तिका 35, पृष्ठ 37 में कर ली गई है)
(8)	पैरा 7(i)	अनिर्णीत	
(9)	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत	
(10)	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत	
(11)	पैरा 8(i)	अनिर्णीत	
(12)	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत	
(13)	पैरा 9	अनिर्णीत	
(14)	पैरा 10	निर्णीत	(यह पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों मे प्रारूपित है)
(15)	पैरा 11	अनिर्णीत	

(16)	पैरा 12(i)	अनिर्णीत	
(17)	पैरा 12(ii)	अनिर्णीत	
(18)	पैरा 13	निर्णीत	(₹ 2750/—की वसूली रसीद संख्याः 629/31203, दिनांक 20.11.10 तथा ₹ 1379/—की वसूली रसीद संख्याः 560/27793, दिनांक 05.09.10 द्वारा कर ली गई है)
(19)	पैरा 14(i)	निर्णीत	(₹ 595/—की वसूली रसीद संख्याः 629/31202 द्वारा कर ली गई है)
(20)	पैरा 14(ii)	निर्णीत	(₹ 377/—की वसूली रसीद संख्याः 16312/274 दिनांक 16.02.10 द्वारा कर ली गई है)
(21)	पैरा 15	निर्णीत	
(22)	पैरा 16	निर्णीत	(₹ 100/—की वसूली रसीद संख्या 560/27795, दिनांक 03.09.10 द्वारा कर ली गई है)

Hkkx&nks

1 orZeku vads{k.k %&

श्री चामुण्डा नन्दिकेष्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेष के लेखों अवधि जनवरी, 2010 से दिसम्बर, 2010 का वर्तमान अंकेक्षण श्री तरवीज़ कुमार (अनुभाग अधिकारी) तथा श्री भवनीष पुरी (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 28.01.2011 से 21.02.2011 के दौरान चामुण्डा में किया गया जिसके परिणाम आगामी अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं। माह 8/2010 को आय और माह 11/2010 को व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चुना गया है।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रस्तुत नहीं की गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

2 vads{k.k 'kqYd %&

चामुण्डा नन्दिकेष्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेष) के लेखों 1/2010 से 12/2010 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹ 17,600/—आंका गया है उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राषि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु मन्दिर अधिकारी से परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, हिमाचल प्रदेष

षिमला–9 के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर भेजने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 144, दिनांक 19.02. 2011 द्वारा अनुरोध किया गया।

3 ¼d½ foÙkh; fLFkfr %&

श्री चामुण्डा नन्दिकेष्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेष की वर्ष 2010 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :–

0k"k 2010	
प्रारम्भिक शेष	2,97,45,366.64
प्राप्तियाँ	1,99,38,471.20
अनुदान	15,48,000.00
ब्याज	32,17,632.46
कुल योग	5,44,49,470.30
व्यय	2,31,94,982.00
अन्तिम शेष	3,12,54,488.30

vUrj dk dkj.k %&

दिनांक 31.12.2010 को बैंक में जमा राषि	3,18,85,110.30
रोकड़ बही के अनुसार अन्तषेष	3,12,54,488.30
अन्तर	6,30,622.00

pid tk tkjh fd, x, ijUrq fnukd 31-12-2010 rd cid e Hkxrku grq iLrqr ugh gq, %&

Ø0 l0	pid l[;k	fnukd	ftl tkjh fd, x,	jkf'k
1	001616	01.10.10	सुलभ इन्ट्रनैष्नल चण्डीगढ़	38,000.00
2	001613	26.10.10	अनिल गैस सर्विस धर्मषाला	14,250.00
3	001630	10.11.10	सुलभ इन्ट्रनैष्नल चण्डीगढ़	38,000.00
4	001479	06.12.10	हिम पेडिकान षिमला	10,000.00
5	001653	06.12.10	हिमाचल प्रदेष खाद्य आपूर्ति विभाग	19,976.00
6	001634	21.12.10	राज इलैक्ट्रिकल ऊना	1,10,734.00
7	001654	21.12.10	शिव शक्ति पठानकोट	6,836.00
8	001480	23.12.10	दशहरा कमेटी धर्मषाला	10,000.00
9	293216	23.12.10	अनिल गैस सर्विस धर्मषाला	28,125.00
10	001674	27.12.10	सरन दास कण्डाघाट	5,000.00

11	293218	27.12.10	सुलभ इन्ट्रनैष्नल चण्डीगढ़	76,000.00
12	001679	28.12.10	सुलभ इन्ट्रनैष्नल चण्डीगढ़	2,56,826.00
13	293217	29.12.10	अनिल गैस सर्विस धर्मषाला	16,875.00
				6]30]622-00

vUr'k"k dk fooj.k %&

दिनांक 31.12.2010 को बैंक में जमा राषि	11,50,337.30
सावधिक जमा में निवेष	3,07,34,733.00
dqy tksM+	3]18]85]110-30

fnukad 31-12-2010 dks cSad tek dk fooj.k %&

Ø0 l0	cSad dk uke	[kkrk l[;k	jkf'k
1	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया चामुण्डा	2353807064	9,08,774.00
2	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया चामुण्डा	2353808591	22,991.00
3	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक, पठियार	1910	1,81,704.00
4	यूको बैंक पालमपुर	18780110005606	18,211.00
5	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया धर्मषाला	10551097090	11,794.00
6	पंजाब नैषनल बैंक नगरोटा बगवां	0802000102365502	5,503.20
7	एच0डी0एफ0सी0 बैंक, धर्मषाला	06051450000049	1,360.10
		dqy tksM+	11]50]337-30

¼[k½ fuos'k %& श्री चामुण्डा नन्दिकेष्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा द्वारा राषि ₹ 3,07,34,773.00, दिनांक 31.12.2010 को सावधि जमा में निवेष किए गए है। दिनांक 31.12.2010 को सावधि जमा के अन्तर्गत निवेषित राषियों का विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार है :–

pkeq.Mk ufUnds'oj efUnj U;kl dh lkof/k tek jkf'k;ksa dk fooj.k %&

Ø0 l0	fuos'k frfFk	fuos'k jkf'k	ifjiDork frfFk	C;kt nj	vof/k	ifjiDork jkf'k	cSad dk uke	uEcj
1	31.03.10	16,17,880.00	31.03.11	6.50%	12 माह	17,25,633.00	U.C.O Palampur	834132
2	24.04.10	3,09,257.00	30.04.13	7.50%	36 माह	3,86,801.00	I.D.B.I Bank	655
3	24.08.10	7,03,842.00	20.06.11	7.00%	300 दिन	7,44,337.00	C.B.I. Chamunda	31454
4	27.08.10	6,36,817.00	23.06.11	7.00%	300 दिन	6,73.456.00	C.B.I. Chamunda	8738

5	28.09.10	4,00,000.00	28.09.11	7.50%	12 माह	4,30,854.00	K.C.C. Pathiar	706170
6	18.12.10	10,15,672.00	18.12.11	8.25%	12 माह	11,02,093.00	C.B.I. Chamunda	3097318565
7	18.12.10	7,74,476.00	18.12.11	8.25%	12 माह	8,40,374.00	C.B.I. Chamunda	3097300421
8	18.12.10	6,92,347.00	18.12.13	8.50%	36 माह	8,91,063.00	C.B.I. Chamunda	3097E+09
9	18.12.10	47,54,259.00	18.12.13	8.50%	36 माह	61,18,820.00	C.B.I. Chamunda	3097323096
10	20.12.10	1,35,234.00	20.12.13	8.50%	36 माह	1,74,049.00	C.B.I. Chamunda	3097652353
11	20.12.10	5,00,893.00	20.12.13	8.50%	36 माह	6,77,659.00	C.B.I. Chamunda	3097652500
12	20.12.10	7,07,753.00	20.12.13	8.50%	36 माह	9,10,891.00	C.B.I. Chamunda	3097664559
13	20.12.10	13,29,777.00	20.12.13	8.50%	36 माह	17,11,448.00	C.B.I. Chamunda	3097664763
14	20.12.10	8,63,792.00	20.12.13	8.50%	36 माह	11,11,716.00	C.B.I. Chamunda	3097665177
15	20.12.10	6,47,076.00	20.12.13	8.50%	36 माह	8,32,799.00	C.B.I. Chamunda	3097664989
16	20.12.10	58,32,807.00	20.12.13	8.50%	36 माह	75,06,931.00	C.B.I. Chamunda	3097665326
17	21.12.10	2,52,383.00	21.12.11	8.50%	12 माह	2,74,529.00	K.C.C Pathiar	706168
18	21.12.10	5,40,189.00	21.12.11	8.50%	12 माह	5,87,589.00	K.C.C Pathiar	706271
19	21.12.10	2,09,355.00	21.12.11	8.50%	12 माह	2,27,725.00	K.C.C Pathiar	706272
20	21.12.10	6,48,743.00	21.12.11	8.50%	12 माह	7,05,669.00	K.C.C Pathiar	706270
21	21.12.10	13,45,046.00	21.12.11	8.50%	12 माह	14,63,071.00	K.C.C Pathiar	706269
22	21.12.10	35,56,246.00	21.12.11	8.50%	12 माह	38,68,299.00	K.C.C Pathiar	706213
23	21.12.10	32,60,929.00	21.12.11	8.50%	12 माह	35,47,069.00	K.C.C Pathiar	706474
	dqy ;ksx	3]07]34]773-00						

4 lksuk %&

0k"k 2010 dk vkjfEHkd 'k"k %& 008–325–878 किलो ग्राम वर्ष 2010 में प्राप्त सोने की कुल मात्रा का विवरण निम्न है :–

Ø0 l0	ekg@o"k	fdyk xke	xke	feyh xke
1	जनवरी 2010	0	053	800
2	फरवरी 2010	0	026	110
3	मार्च 2010	0	018	700
4	अप्रैल 2010	0	170	360
5	मई 2010	0	134	690
6	जून 2010	0	021	970
7	जुलाई 2010	0	012	810
8	अगस्त 2010	0	027	450
9	सितम्बर 2010	0	033	530
10	अक्तुबर 2010	0	017	200
11	नवम्बर 2010	0	068	960
12	दिसम्बर 2010	0	019	310
	;kx	0	604	890

	fdyk xke	xke	feyh xke
वर्ष 2010 का आरम्भिक शेष	008	325	878
वर्ष 2010 में प्राप्त सोने की मात्रा	000	604	890
वर्ष 2010 का अन्तषेष	008	930	768
दिनांक 31.12.10 को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज	008	882	268
vUrj	000	048	500

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 के पैरा संख्या 4 में दिए विवरणानुसार दर्षाए गए अन्तर इस अन्तर बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में दिए सुझावानुसार दरूस्ती हेतू आवष्यक कार्रवाई करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

LVkd jftLVj d vuqlkj vUr'k"k dk fooj.k %&

	fdyk xke	xkke	feyh xke
दिनांक 31.12.10 को सेफ में जमा मात्रा	006	410	378
पुजारियों के पास श्रृंगार हेतू मात्रा	002	471	890
दिनांक 31.12.10 को कुल मात्रा	008	882	268

5 pknh %&

Ok"k 2010 dk vkjfEHkd 'k"k %& 598–183–489 किलो ग्राम वर्ष 2010 में प्राप्त चांदी की कुल मात्रा का विवरण निम्न है :–

Ø0 l0	ekg@o"k	fdyk xke	xke	feyh xke
1	जनवरी 2010	0	686	500
2	फरवरी 2010	1	635	500
3	मार्च 2010	1	059	500
4	अप्रैल 2010	1	211	000
5	मई 2010	1	280	500
6	जून 2010	1	210	500
7	जुलाई 2010	2	435	000
8	अगस्त 2010	0	937	000
9	सितम्बर 2010	0	909	500
10	अक्तूबर 2010	1	041	000
11	नवम्बर 2010	1	322	000
12	दिसम्बर 2010	0	473	000
	;kx	14	200	500

	fdyk xke	xke	feyh xke
वर्ष 2010 का आरम्भिक शेष	598	183	489
वर्ष 2010 में प्राप्त चांदी की मात्रा	14	200	500
वर्ष 2010 का अन्तषेष	612	383	989
दिनांक 31.12.10 को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज मद	469	709	322
vUrj	142	674	667

vUrj dk dkj.k %&

	fdyk xke	xke	feyh xke
गत अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005 के पैरा संख्या क व ख में दिए विवरणानुसार कम दर्षाई गई मात्रा	142	501	842
गत अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 के पैरा संख्या 7 में दर्षाई गई कम मात्रा की वसूली रसीद संख्या 499/24620, दिनांक 24.06.09 द्वारा कर ली गई है	0	172	825
dqy ;kx	142	674	667

अतः उपरोक्त अन्तर का प्रकरण पुनः आयुक्त, मन्दिर न्यास के ध्यान में इस आषय के साथ लाया जाता है कि स्टॉक रजिस्टर में चांदी की उक्त कम मात्रा की पूर्ण छानबीन करके परिणामों से शीघ्र इस विभाग को अवगत किया जाए।

6 efUnj U;kl deZpkfj;ksa dk vf/kd edku HkÙkk dk Hkqxrku ckjs %&

चीफ कमीष्नर मन्दिर व सचिव (भाषा एवं संस्कृति) के पत्र संख्या एल0सी0डी0–फिन(1)–1/2010, दिनांक 12.10.10 तथा कमीष्नर (मन्दिर) व आयुक्त कांगड़ा के पृष्ठांकन संख्या 1222–1234, दिनांक 15.10.10 के अनुसार जिला कांगड़ा के मन्दिरों के कर्मचारियों को

हिमाचल प्रदेष सरकार के कर्मचारियों को दिए जा रहे मकान भत्ते को दिनांक 01.06.2010 से देने के आदेष है ऑडिट द्वारा रिकॉर्ड की जाँच करने उपरान्त पाया गया कि श्री चामुण्डा नन्दिकेष्वर मन्दिर के कर्मचारियों को यह मकान भत्ता दिनांक 01.06.10 से जो भुगतान किया गया है वह जिला मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को देय मकान भत्ता के आधार पर दिया जा रहा है जबकि चामुण्डा मन्दिर के कर्मचारियों को जिला मुख्यालय का नहीं बल्कि अन्य भागों में देय मकान भत्ता देय बनता है।

ऑडिट द्वारा मामला मन्दिर प्रषासन से उठाने पर ऑडिट आपत्ति की अनुपालना में मन्दिर प्रषासन द्वारा यह अधिक मकान भत्ते के रूप में किए गए भुगतान की वसूली कर्मचारियों के जनवरी 2011 माह के वेतन से करनी आरम्भ कर दी है माह जनवरी 2011 के दौरान की गई वसूली की पुष्टि ऑडिट द्वारा कर ली गई है जिसका विवरण आगे दिया गया है।

अतः मन्दिर प्रषासन से अनुरोध है कि बकाया अधिक भुगतान किए गए मकान भत्ते की वसूली करनी सुनिष्चित की जाए व कृत कार्यवाही से यथा समय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Ø0 l0	uke o in	n; edku HkÙkk	6 ekg dk ;kx	vkgfjr	6 ekg dk ;kx	vUrj	01@2011 dh oru ek dh xbZ dVkSrh	cdk;k olwyh ;kX; jkf'k
1	श्री सुरिन्द्र कुमार (क0सहा0)	175	1050	300	1800	750	375	375
2	कुलदीप अवस्थी (क0सहा0)	175	1050	300	1800	750	375	375
3	सुरेश कुमार (वरि0लि0)	175	1050	275	1650	600	375	225
4	यष पाल, सर्वेयर	175	1050	300	1800	750	375	375
5	सतीश कुमार, लिपिक	150	900	225	1350	450	225	225
6	मुकेश कुमार, चित्रकार	200	1200	300	1800	600	300	300
7	ध्रुव देव, गोलक रक्षक	150	900	225	1350	450	225	225
8	नवल किषोर, सेवादार	125	750	225	1350	600	300	300
9	हरवंश लाल, सेवादार	125	750	225	1350	600	300	300
10	नाथा राम, सेवादार	125	750	225	1350	600	300	300
11	धर्मपाल, सेवादार	125	750	225	1350	600	300	300
12	किशोरी लाल, सेवादार	125	750	225	1350	600	300	300
13	विजय कुमार, सेवादार	125	750	225	1350	600	300	300
14	अनिल कुमार, सेवादार	125	750	225	1350	600		600
15	विमला देवी, सफाई कर्मचारी	125	750	225	1350	600		600
16	रवि कुमार, सेवादार	125	750	200	1200	450		450

17	गोदावरी, सेवादार	125	750	225	1350	600	300	300
18	सुभाष चन्द, सेवादार	125	750	225	1350	600	300	300
19	राजेश कुमार, सेवादार	125	750	225	1350	600	300	300
20	कृष्ण दीक्षित, अध्यापक	200	1200	300	1800	600	300	300
21	अनीश अवस्थी, अध्यापक	200	1200	300	1800	600	300	300
22	यष पाल शर्मा	200	1200	300	1800	600		600
	;kx	3300	19800	5500	33000	13200	5550	7650

7 efUnj deipkfj;k l ekfld LVMM ykblUl Qhl dh dVkrh ckj %&

चीफ कमीष्नर मन्दिर व सचिव (भाषा एवं संस्कृति) के पत्र संख्या एल0सी0डी0–फिन(1)–1/2010, दिनांक 12.10.2010 के अनुसार कांगड़ा जिला के मन्दिर के कर्मचारियों से मासिक स्टैंडर्ड लाईसैन्स फीस उसी दर से वसूल की जाएगी जिस दर से हिमाचल प्रदेष सरकार के कर्मचारियों से की जा रही हैं। यह नियम दिनांक 01.06.2010 से लागू होंगे। अंकेक्षण द्वारा रिकॉर्ड की जाँच करने उपरान्त पाया गया कि चामुण्डा मन्दिर द्वारा जिन कर्मचारियों को आवास सुविधा दी गई है उन कर्मचारियों से स्टैंडर्ड लाईसैंस फीस दिनांक 01.06.10 से नहीं वसूली गई है।

ऑडिट द्वारा मामला मन्दिर प्रषासन से उठाने पर ऑडिट आपत्ति की अनुपालना में मन्दिर प्रषासन द्वारा यह वसूलने योग्य राषि माह जनवरी 2011 के वेतन से वसूलना आरम्भ कर दी है जिसका विवरण आगे दिया गया है।

अतः मन्दिर प्रषासन से अनुरोध है कि बकाया वसूली योग्य स्टैंडर्ड लाईसैन्स फीस की वसूली सुनिष्चित की जाए व कृत कार्यवाही से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Jh pkeq.Mk ufUnds'oj efUnj U;kl esa dk;Zjr deZpkfj;ksa dh lwph ftUgsa vkokl lqfo/kk iznku dh xbZ gS %&

ykbZlsUl Qhl dh dVkSrh ekg twu ls uoEcj 2010 rd ¼ns; edku HkÙkk 'kU;½

Ø0 l0	uke o in	vkokl dh fdLe	vkgfjr 01-06-10 ls 30-11-10	6 ekg dk ;kx	dVkSrh twu ls flrEcj rd	;kx	dVkSrh vDrwcj uoEcj	2 ekg dk ;kx	dkye 5] 7 o 9 dk ;kx	01@2011 esa dh xbZ dVkSrh	olwyh ;kX; jkf'k
1	श्री राम लाल, पुजारी	Type-1	300	1800	53	212	106	212	2224	1059	1165
2	राजिन्द्र कुमार, पुजारी	Type-1	300	1800	53	212	106	212	2224	1059	1165
3	ओंम ओंकार, पुजारी	Type-1	300	1800	53	212	106	212	2224	1059	1165
4	ओंम प्रकाष, गो0 रक्षक	Type-1	225	1350	53	212	106	212	1774	834	940
5	राकेश श्रोत्री, गो0 रक्षक	Type-1	225	1350	53	212	106	212	1774	834	940
6	राम प्रषाद, पाचक	Type-1	225	1350	53	212	106	212	1774	834	940
7	सुरिन्द्र कुमार, चौकीदार	Type-1	225	1350	53	212	106	212	1774	459	1315
8	मस्त राम, चौकीदार	Type-1	225	1350	53	212	106	212	1774	459	1315
9	भवनेष कुमार, व0लि0	Type-1	225	1350	53	212	106	212	1774	834	940
10	शमषेर सिंह, जे0ई0	Type-III	300	1800	194	776	106	456	3032	1482	1550
11	राकेश कुमार, लि0	Type-1	250	1500	53	212	106	212	1924	909	1015
12	विषन दास	Type-1	225	1350	53	212	106	212	1774	834	940
13	चन्द्रपाल सेवादार	Type-II	225	1350	114	456	228	456	2262	675	1587
14	पुरन चन्द सेवादार	Type-II	225	1350	114	456	228	456	2262	675	1587
15	शान्ति देवी, सेवादार	Type-1	225	1350	53	212	106	212	1774	459	1315
16	हरिश कुमार, अध्यापक	Type-II	300	1800	114	456	228	456	2712	1584	1128
17	बनवारी लाल, अध्यापक	Type-II	300	1800	114	456	228	456	2712	1584	1128
18	रामदीन, सेवादार	Type-1	225	1350	53	212	106	212	1774	459	1315
19	रमेश कुमार, लिपिक	Type-1	225	1350	53	212	106	212	1774	834	940
		;kx	4750	28500	1392	5568	2502	5248	39316	16926	22390

8 jSMØkl lkslkbZVh /keZ'kkyk dks vuqnku ds :i esa jkf'k ₹ 5]00]000@&dk vuqfpr Hkqxrku cjkcj %&

राशि ₹5,00,000/–का भुगतान रैडक्रास सोसाईटी धर्मषाला को अनुदान के रूप में वाऊचर संख्या 65, दिनांक 09.02.2010 द्वारा किया गया जोकि नियमानुसार ठीक नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेष हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की किसी भी धारा/नियम में इस प्रकार के व्यय का कोई प्रावधान नहीं है कि मन्दिर न्यास निधि से धन राषि निकालकर रैडक्रास सोसाईटी को अनुदान के रूप में दी जाए।

ऐसा प्रतीत होता है कि जब मन्दिर का बजट तैयार व पारित करवाया गया तब जानबूझ कर बजट में ऐसी मद के लिए राषि का प्रावधान करवाया गया है जोकि उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि हिमाचल प्रदेष हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 के चैप्टर UI "Budget and Maintenance of Accounts" के नियम 22(1)(2)(3) व (4) के अन्तर्गत आयुक्त (मन्दिर) को ऐसी मद के लिए हर वर्ष बजट से खर्चा करने का कोई अधिकार प्राधिकृत नहीं किया गया है। अतः इस प्रकरण में ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा मन्दिर न्यास से जो भी धनराषि रैडक्रास सोसाईटी को दी गई है को वापिस मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से इसको नियामनुकूलन करवाएं तथा भविष्य में बजट तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि बजट में ऐसी मद में खर्चे का प्रावधान न रखा जाए, जिसका अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

यह मामला हिमाचल प्रदेष सरकार के मुख्य आयुक्त एवं सचिव (भाषा) तथा आयुक्त (मन्दिर) के ध्यान में विषेष रूप से लाया जाता है ताकि मन्दिर न्यास के धन का दुर्विनियोजन रोका जा सके अन्यथा अगर रैडक्रास सोसाईटी को अनुदान के रूप में राषि देना अत्यावष्यक प्रतीत होता है तो मन्दिर न्यास के अधिनियम 1984 में हिमाचल प्रदेष सरकार से संषोधन प्रस्ताव विधानसभा में पारित करवाया जाए।

9 dsUnzh; iwy esa nh xbZ jkf'k ₹3]00]000@&dk vuqfpr Hkqxrku cjkcj %&

मन्दिर न्यास के अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि वर्ष 2010 में ₹3,00,000/–की राषि केन्द्रीय पूल में जमा करवाई गई है। पूर्व में भी मन्दिर न्यास निधि से लाखों रूपये की राषि प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय पूल में जमा करवाई जा रही है जिसके बारे में प्रत्येक अंकेक्षण प्रतिवेदन में आपत्ति उठाई जाती रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेष हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था ओर पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की किसी भी धारा/नियम में इस प्रकार का

कोई प्रावधान नहीं है कि मन्दिर न्यास निधि से धनराषि निकालकर केन्द्रीय पूल में जमा करवाई जाए।

ऐसा प्रतीत होता है कि जब मन्दिर का बजट तैयार व पारित करवाया जाता है तो जानबूझ कर बजट में केन्द्रीय पूल के लिए धन का प्रावधान करवाया जाता है जोकि उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि हिमाचल प्रदेष हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था ओर पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 के चैप्टर UI “Budget and Maintenance of Accounts” के नियम 22(1)(2)(3) व (4) के अन्तर्गत आयुक्त (मन्दिर) को केन्द्रीय पूल जैसी मद के लिए हर वर्ष बजट से खर्चा करने का कोई अधिकार प्राधिकृत नहीं किया गया है। अतः इस प्रकरण में ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा मन्दिर न्यास से आजतक जो भी धनराषि केन्द्रीय पूल में जमा की गई है को वापिस मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए अंकेक्षण अवधि तक जो धन राषि मन्दिर न्यास निधि से केंन्द्रीय पूल में जमा करवाई गई है उसका वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

Øekd	0k"k	jkf'k
1	1995	1,00,000/–
2	1997	1,50,000/–
3	1998	1,00,000/–
4	1999	1,00,000/–
5	2001	50,000/–
6	2002	50,000/–
7	2003	50,000/–
8	2004	1,00,000/–
9	2005	1,50,000/–
10	2006	1,50,000/–
11	2007	1,50,000/–
12	2008	1,50,000/–
13	2009	3,00,000/–
14	2010	3,00,000/–
	dqy ;ksx	₹19]00]000@&

उपरोक्त धनराषि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह राषि किस प्रयोजन हेतू केन्द्रीय पूल से खर्च की गई का कोई भी अभिलेख मन्दिर न्यास के पास नहीं है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में बजट तैयार करते समय

इस बात का ध्यान रखा जाए कि बजट में ऐसी किसी मद में खर्चे का प्रावधान न रखा जाए जिसका अधिनियम में प्रावधान नहीं है।

अतः यह मामला हिमाचल प्रदेष सरकार के आयुक्त एंव सचिव (भाषा) ओर आयुक्त (मन्दिर) के ध्यान में विषेष रूप से लाया जाता है ताकि मन्दिर न्यास के धन का दुर्विनियोजन रोका जा सके अन्यथा अगर केन्द्रीय पूल में धनरषि जमा करवाना अत्यावष्यक प्रतीत होता है तो मन्दिर न्यास के अधिनियम 1984 में हिमाचल प्रदेष सरकार से संषोधन प्रस्ताव विधानसभा में पारित करवाया जाए।

10 lsok fuo`r xzsP;qVh ds vf/kd Hkqxrku ckjs %&

मन्दिर न्यास के अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा सेवा निवृत कर्मचारियों को सेवा निवृत ग्रेच्यूटी के रूप में अधिक राषि भुगतान की गई है क्योंकि जिला कांगड़ा मन्दिर न्यास कर्मचारी सेवा नियम 2000 के नियम 5(1) में यह लिखा है :–

The Retirement Assistance shall be Payable to the employees after he/she has rendered a continuous service of not less than 5 years from the commencement of these rules.

इन्हीं नियमों के भाग 3(ए) परिभाषा (Definitions) में यह लिखा है।

"Appointment day" means the I[st] day of January 2000"

उपरोक्त नियमों के अनुसार मन्दिर कर्मचारियों की सेवा 01.01.2000 से शुरू होगी तथा कर्मचारी द्वारा इससे पहले की गई सेवा का ग्रेच्यूटी के भुगतान का लाभ नहीं होगा। जबकि निम्न कर्मचारियों को 01.01.2000 से पूर्व की गई सेवा का ग्रेच्यूटी के रूप में भुगतान किया गया है।

¼1½ Jh feUd jke

जन्म दिन की तिथि	01.07.1950
नियुक्ति की तिथि	04.03.1994
सेवा निवृति की तिथि	31.07.2010
कुल सेवा काल	16 वर्ष 4 मास 28 दिन (16.5 वर्ष)
अन्तिम वेतन	₹6708/–(Emoluments)
ग्रेच्यूटी जो भुगतान की गई	$\frac{6708 \times 16.5}{2} = 55341/-$
नियमानुसार नियुक्ति की तिथि	01-01-2000
कुल सेवा काल	10 वर्ष 7 मास (10.5 वर्ष)
भुगतान योग्य ग्रेच्यूटी	$\frac{6708 \times 10.5}{2} = 35217/-$
अधिक भुगतान की गई राषि	20,124/–

¼2½ Jh cf) flg

जन्म दिन की तिथि	01.07.1950
नियुक्ति की तिथि	04.03.1994
सेवा निवृति की तिथि	31.07.2010
कुल सेवा काल	16 वर्ष 4 मास 28 दिन (16.5 वर्ष)
अन्तिम वेतन	₹6708 / −(Emoluments)
ग्रेच्यूटी जो भुगतान की गई	$\frac{6708 \times 16.5}{2}$ = 55341/-
नियमानुसार नियुक्ति की तिथि	01-01-2000
कुल सेवा काल	10 वर्ष 7 मास (10.5 वर्ष)
भुगतान योग्य ग्रेच्यूटी	$\frac{6708 \times 10.5}{2}$ = 35217/-
अधिक भुगतान की गई राषि	20,124 / −

¼3½ Jh jke d".k ¼jlkb;k½

जन्म दिन की तिथि	18.11.1950
नियुक्ति की तिथि	08.07.1994
सेवा निवृति की तिथि	30.07.2010
कुल सेवा काल	16 वर्ष 4 मास 24 दिन (16.5 वर्ष)
अन्तिम वेतन	₹8811 / −(Emoluments)
ग्रेच्यूटी जो भुगतान की गई	$\frac{8811 \times 16.5}{2}$ = 72691/-
नियमानुसार नियुक्ति की तिथि	01-01-2000
कुल सेवा काल	10 वर्ष 7 मास (11 वर्ष)
भुगतान योग्य ग्रेच्यूटी	$\frac{8811 \times 11}{2}$ = 48461/-
अधिक भुगतान की गई राषि	24,230 / −

अतः उपरोक्त अधिक भुगतान की गई ग्रेच्यूटी का ठोस तथ्यों सहित औचित्य विहित अनुदेषों के अनुसार स्पष्ट किया जाए अन्यथा शामिल राषि की वसूली सुनिष्चित की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

11 okÅpj la[;k 42] fnukad 07-08-2010] jkf'k ₹9]14]780@& ¼&

कार्य का नाम	Providing & fixing brass pipe/stainless steel of different size for railing in Main Temple Gate to Gate under the eanopy.
संविदाकार का नाम	श्री विरेन्द्र कटोच

अनुबन्ध संख्या	84, दिनांक 17.09.09
माप पुस्तिका संख्या	37 / पेज 25 व 91 से 93 तक

उपरोक्त निर्माण कार्य की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई हैं :–

(i) निदेषक, भाषा एवं संस्कृति मुख्य आयुक्त मन्दिर एवं सचिव का प्रषासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति पत्र संख्या भा0स0न0 1/2009 मन्दिर श्री चामुण्डा नन्दिकेष्वर 5011, दिनांक 19.03.2009 के अनुसार वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति 14,77,000/– है तथा इस राषि को बढ़ाकर 17,81,284/–कर दिया गया । इस बढ़ौतरी किए गए खर्चे की प्रषासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

(ii) उपरोक्त कार्य तीन मास के भीतर किया जाना अपेक्षित था जिससे सम्बन्धित Completion Certificate ऑडिट को नहीं दिखाया गया जिसे आगामी अंकेक्षण पर दिखाना सुनिष्चित किया जाए।

(iii) कनिष्ठ अभियन्ता के कथानानुसार इस कार्य से सम्बनिधत अभी गेट का कार्य बाकी है उसे पूरा करवाने उपरान्त देरी से किए गए कार्य का दण्ड वसूलना सुनिष्चित करें।

12 <u>okÅpj l[;k 35] fnukd 10-11-2010] jkf'k ₹1]32]698@&</u> %&

कार्य का नाम	Construction of Green Park, MS Benches, Path Fountain Flower & Korean Grass with Samadi Portion
संविदाकार का नाम	श्री अंकुष धीमान
अनुबन्ध संख्या	92/2010
अनुमानित राषि	14,97,537/–

उपरोक्त निर्माण कार्य मन्दिर न्यास श्री चामुण्डा नन्दिकेष्वर धाम–चामुण्डा द्वारा संविदाकार श्री अंकुष धीमान को पत्र संख्या 1/2010–CH-NA-MA-NO(T)-260 to 265, दिनांक 16.01.2010 द्वारा कुल राषि ₹16,43,888/–में आबंटित किया गया है जाँच पड़ताल पर पाया गया कि कार्य की मद संख्या 13(U) “Rainbow Bridge Ladder” की टैंडर में राषि ₹7,000/– दर्षाई गई है लेकिन जब यह राषि आवार्ड पत्र में जोड़ी गई तो इसे ₹70,000/– दर्षाया गया है इस प्रकार अवार्ड पत्र में 63,000/–अधिक राषि दर्षाई गई है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस राषि को विपत्र से काटना सुनिष्चित किया जाए। अतः सुझाव दिया जाता है कि अन्तिम भुगतान करते समय टैंडर में दर्षाई गई राषि को आधार मान कर ही भुगतान करना सुनिष्चित किया जाए।

13 lfonkdkj dk jkf'k ₹2]146@&dk vf/kd Hkqxrku ckjs%&

कार्य का नाम	Construction of Rain Shelter Near Sulabh Complex.
संविदाकार का नाम	श्री अषोक कुमार
अनुबन्ध संख्या	93/2010, दिनांक 16.03.10
माप पुस्तिका/पेज	39/39

(i) प्रथम चलत बिल की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि कार्य की मद "Providing & Laying Exavation" के अन्तर्गत कुल निष्पादित मात्रा 22.5 वर्ग मीटर के लिए ₹100/– प्रतिवर्ग मीटर के हिसाब से ₹3,375/– का भुगतान किया गया जबकि वास्तव में भुगतान ₹2,250/– बनता था। अतः संविदाकार को गलत गणना के फलस्वरूप ₹1,125/–का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली सुनिष्चित की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(ii) उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि कार्य की मद संख्या 9 "Steel Work in Single Section" के अन्तर्गत quantity 3929.05 kg के स्थान पर केवल 3911.45 कि0ग्रा0 बनती है अतः संविदाकार को अनुमोदित ₹58/–की दर से 17.6 कि0ग्रा0 का ₹1,021/–का अधिक भुगतान कर दिया गया है जिसकी वसूली सुनिष्चित की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

14 fcuk dksVs'kuks ds [kjhn ckjs%&

राशि ₹3,93,359/–का भुगतान मैं0 दी पठियार को–अप कृषि सेवा सहकारी समिति को निम्न वाऊचरों के अन्तर्गत किया गया।

Ø0l0	okÅpj l[;k	fnukd	jkf'k
1	60	10.11.2010	7,920/–
2	61	15.11.2010	1,75,919/–
3	89	17,11,2010	2,300/–
4	90	17.11.2010	7,600/–
5	91	29.11.2010	1,02,777/–
6	92	29.11.2010	96,843/–
		dqy ;kx	3]93]359@&

उपरोक्त खरीद के सम्बन्ध में मन्दिर प्रषासन के द्वारा अंकेक्षण के दौरान कोटेषने प्रस्तुत नहीं की गई। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए अन्यथा बिना कोटेषन के सामान की खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा यह अनियमितता सक्षम

अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाई जाए व भविष्य हेतू इस प्रकार की अनियमितता पर पूर्णतया अंकुष लगाया जाए।

15 fcy l[;k 50] fnukd 04-11-2010] jkf'k ₹19]717@& %&

राशि ₹19,717/–का भुगतान मैं0 एम्बैसी स्वीटस पालमपुर को उनके बिल संख्या 1 से 4, दिनांक 15.10.10 के एवज़ में मिठाईयों की खरीद हेतू किया गया।

इस सम्बन्ध में मन्दिर प्रषासन द्वारा 74 मदों मे से केवल 14 मदों की कोटेषने ऑडिट को दिखाई गई शेष 60 मदों की कोटेषने ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाए अन्यथा बिना कोटेषनों की खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा यह अनियमितता सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाई जाए।

16 Jh cf) flg o Jh feud jke d ekg 7@2010 d oru ₹13]896@&dh olyh ckj %&

मन्दिर न्यास के अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा श्री बुद्धि सिंह व श्री मिनक राम (दोनों सेवा निवृत कर्मचारियों) को माह 7/2010 का वेतन अधिक भुगतान किया गया है। सेवा पंजिका अनुसार इन दोनों कर्मचारियों की सेवा निवृति की तिथि 30.06.2010 बनती थी। इस प्रकार इन दोनों कर्मचारियों को 7/2010 के वेतन का ₹13,896/–अधिक भुगतान किया गया है जिसे वसूलना सुनिष्चित किया जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

17 Jh feud jke ¼lok fuo`r½ l ₹224@&vf/kd Hkxrku dh olyh ckj %&

मन्दिर न्यास के अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि श्री मिनक राम को माह 7/10 का अर्जित अवकाष का क्रेडिट दिया गया है तथा उसे कुल 145 दिन अर्जित अवकाष का लीव इन्कैषमैन्ट (Leave Encashment) का भुगतान किया गया है। श्री मिनक राम की जन्म तिथि 01.07.1950 है इस प्रकार उसकी सेवा निवृति की तिथि 30.06.2010 बनती है। इस प्रकार उपरोक्त कर्मचारी को 1 दिन का (माह 7/10) अर्जित अवकाष का अधिक भुगतान किया गया जो कि ₹224/–बनता है जिसे वसूलना सुनिष्चित किया जाए व कृत कार्यवाही से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 efUnj vf/kdkjh dk ekg 09@2010 n; 10@2010 d ekun;@ikfjJfed HkÙk dh olyh ckj %&

माह 09/2010 देय 10/2010 के वेतन बिल की जाँच करने उपरान्त पाया गया कि मन्दिर अधिकारी एल0आर0 कौंडल को ₹1,500/–मानदेय के रूप में दिया गया है जोकि जिलाधीष कांगड़ा/आयुक्त (मन्दिर) के कार्यालय आदेष संख्या ADM/Kangra 1141-1152,

दिनांक 04.10.2010 के अनुसार दिनांक 01.09.2010 से बन्द कर दिया गया था। मन्दिर प्रषासन से मामला उठाने पर सम्बन्धित अधिकारी ने यह अधिक वसूल की गई राषि रसीद संख्या 629/31214, दिनांक 08.02.2010 द्वारा मन्दिर निधि में जमा करवा दी है जिसकी पुष्टि ऑडिट द्वारा कर ली गई है तथा ऑडिट आपत्ति का निपटारा मौके पर कर दिया गया है।

19 VDLkh dk fdjk;k dh olwyh ckjs %&

कार्यालय आदेष संख्या चा0म0 01/2010 स्था0 2523–29, दिरनांक 13.09.2010 के अन्तर्गत श्री चामुण्डा मन्दिर न्यास के 10 कर्मचारियों की डयूटी दिनांक 14.09.10 व 15.09.10 को डल में लगाई गई थी इन कर्मचारियों को ले जाने के लिए गाड़ी नम्बर HP-01D-1069 का प्रयोग किया गया जिस के लिए ₹1,400/–का भुगतान वाऊचर संख्या 25, दिनांक 09.10.10 के अन्तर्गत किया गया।

नियमानुसार यह कर्मचारी टैक्सी के लिए पात्र नहीं थे इसलिए उपरोक्त कर्मचारियों को बस किराया ही देय बनता हैं। चामुण्डा से डल लेक की दूरी 25 कि0मी0 है तथा प्रत्येक कर्मचारी का आने जाने का किराया ₹50/–बनता है। इस प्रकार 10 कर्मचारियों का ₹500/– देय बनते हैं तथा अधिक भुगतान किए गए किराये राषि ₹900/– की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिष्चित की जाए व कृत कार्यवाही से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 LVkWd jftLVj esa >kMwvksa dks xyr [kkfjt djus ckjs %&

झाडुओं से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि दिंनाक 30.09.2010 को स्टॉक रजिस्टर के पेज संख्या 71 पर 13 झाडुओं को गलत खारिज किया गया है जोकि उचित नहीं है तथा जब यह मामला मन्दिर अधिकारी के साथ उठाया गया तो उन्होंने सम्बन्धित कर्मचारी से 24.50 प्रति झाडू की दर से राषि ₹319/–की वसूली रसीद संख्या 629/31213 द्वारा करके मन्दिर न्यास निधि में जमा करवा दी जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है।

21 iqLrd foØ; ls lEcfU/kr jkf'k ₹278@& efUnj U;kl fuf/k esa de tek djokus ckjs %&

पुस्तक विक्रय से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि माह अगस्त 2010 में पुस्तक विक्रय स्टॉक रजिस्टर अनुसार राषि ₹25,183/–की पुस्तकें विक्रय हेतु जारी की गई परन्तु रोकड़ बही में केवल राषि ₹24,905/–ही जमा करवाई गई। इस प्रकार राषि ₹278/–रोकड़ बही में कम जमा करवाये गए जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए

अन्यथा चूककर्त्ता से इस राषि की वसूली करके मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

22 <u>okÅpj l[;k 26] fnukad 08-11-2010] jkf'k ₹850@&</u> ¼&

वाऊचर संख्या 26, दिनांक 08.11.2010 द्वारा राषि ₹850/—का भुगतान श्री राकेष कुमार लिपिक को यात्रा भत्ते के रूप में किया गया। ऑडिट द्वारा विपत्र की जाँच करने उपरान्त पाया गया कि नियमानुसार कुल भुगतान ₹784/—बनता है इस प्रकार सम्बन्धित कर्मचारी को ₹66/—का अधिक भुगतान किया गया है प्रषासन से मामला उठाने पर सम्बन्धित कर्मचारी से अधिक भुगतान की गई राषि मन्दिर निधि में रसीद संख्या 629/31212 द्वारा दिनांक 01.02.2011 को जमा करवा दी गई है जिसकी पुष्टि ऑडिट द्वारा कर ली गई है तथा ऑडिट आपत्ति का निपटारा मौके पर कर दिया गया।

23 <u>y?kq vkifÙk foojf.kdk</u> ¼& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

24 <u>fu"d"kZ</u> ¼& मन्दिर न्यास के लेखों में सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए)एच(2)सी(15)(14)198/99—खण्ड—4 दिनांक, षिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती हैं :—

i`thd`r ¼&
1 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास माता श्री चामुण्डा नन्दिकेषवर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर अतिषीघ्र इस विभाग को भेजें।

2 आयुक्त एवं सचिव (भाषा) हिमाचल प्रदेष षिमला—171002.

3 निदेषक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेष षिमला—171009.

4 आयुक्त मन्दिर एवं उपायुक्त कांगड़ा, स्थित धर्मषाला, हिमाचल प्रदेष।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला—171009.

¼vuqi dqekj ?kku½